न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 28/2013 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. हरीराम (मृत)
1/1. अंगूरी वेवा हरीराम
1/2. प्रकाश
1/3. सुरेश } पुत्रगण हरीराम
1/4. देववृत
1/5. पुष्पा } पुत्रीयान हरीराम
1/6. शीला
2. रामजीलाल (मृत)
2/1. पार्वती वेवा रामजीलाल
2/2. अरूण कुमार
2/3. योगेन्द्र कुमार } पुत्रगण रामजीलाल
2/4. नरेन्द्र शर्मा
2/5. रैनू } पुत्रियान रामजीलाल
2/6. सुलेखा
3. बद्रीप्रसाद (मृत)
3/1. शान्ती देवी वेवा बद्रीप्रसाद
3/2. गजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद
3/3. बृजलता पुत्री बद्रीप्रसाद

जातियान ब्राहम्ण निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुस0 द्रोपदी वेवा राधेश्याम
2. प्रेमचन्द पुत्र राधेश्याम
3. अनिल कुमार पुत्र राधेश्याम
4. बच्चन उर्फ सन्तोष नाबालिग पुत्र राधेश्याम जरिये माता द्रोपदी पत्नी राधेश्याम
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर।

जाति ब्राहम्ण निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर दि0 09.04.2003 प्र.सं. 290/96 उनवान हरीराम बनाम द्रोपदी वगै0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेशचन्द शर्मा उपस्थित ।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :– 22.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 02 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम सरसैना में अपीलाण्ट/वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त आराजी अपीलाण्ट/वादीगण को अपने पूर्व पुरूष पिता जगन्नाथ से प्राप्त हुई, जो कि उनकी स्वःअर्जित सम्पत्ति है। मौके पर अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में रैस्पो0/प्रतिवादीगण को गैर खातेदार दर्ज कर रखा है, जो कि खिलाफ मौका व कानून है तथा कलमजन किये जाने योग्य है। उक्त गलत इन्द्राजों के बल पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते हैं एवं अपीलाण्ट/वादीगण को विवादित आराजी से बेदखले करने की धमकी देते हैं। यदि रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपने हितो की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 02 बीघा 18 विस्वा अपीलाण्ट के पिता जगन्नाथ की कब्जे एवं खातेदारी का रकबा था, जिस पर अपीलाण्ट के पिता स्व0 जगन्नाथ संवत 2012 से पूर्व वहैसियत गैर मौरूसी काश्तकार काबिज थे एवं संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय सन् 1955 में भी अपीलाण्ट के पिता वहैसियत गैर मौरूसी काश्तकार काबिज थे। अतः कानूनन विवादित आराजी पर हकूक खातेदारी पैदा हो चुके थे। जैसा कि आर0आर0डी0 1997 पेज 202 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से अपीलाण्ट के पिता श्री जगन्नाथ को खातेदार अंकित नहीं करके रैस्पो0 को गैर खातेदार गलत व खिलाफ कानून अंकित कर दिया। अपीलाण्ट अपने पिता स्व0 जगन्नाथ की मृत्यु के बाद से बदस्तूर विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं व इस समय भी काबिज हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से अपना दावा सिद्ध किया है। मगर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की ओर गौर ना करते हुए,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। नकल जमाबन्दी संवत 2010–13 से अपीलाण्ट के पिता स्व0 जगन्नाथ का कब्जा काश्त साबित है। संवत 2012 में रैस्पो0 के पूर्व पुरूष राधेश्याम का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं था और ना ही उसके नाम किसी प्रकार के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज थे। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बखूबी साबित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1978 पेज 27 एवं जमींदारी व विश्वेदारी अधिनियम धारा 29 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2003 को निरस्त कर, अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है एवं जमाबन्दी संवत 2018–21 में रैस्पो0 बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकरण से सम्बन्धित अपीलाण्ट का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर वैर के निर्णय दिनांक 17.02.2001 से निरस्त हो चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 का कब्जा मानते हुए, उन्हें दिनांक 27.04.2002 से विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किया जा चुका है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से विगत 12 साल से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2013 पेज 497, आर0आर0डी0 1986 पेज 546 एवं जमींदारी व विस्वेदारी अधिनियम धारा 29 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 6 तनकियॉ निर्धारित की है। तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार हैं :–

6. तनकी संख्या 01 **"आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 43 रकवा 02 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम सरसैना के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2010–13 प्रदर्श 2 के खाता संख्या 24 में अंकित विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादीगण के पिता जगन्नाथ की खुद काश्त काबिज, साजी राम सिंह बल्द चिरंजी कौम बामन सा0 देह गैर मौरूसी व हिस्सा बराबर अंकित हैं एवं जमाबन्दी संवत 2014 प्रदर्श 3 में भी खुद काश्त जगन्नाथ काबिज दर्ज हैं। उक्त दोनों जमाबन्दियों में रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष राधेश्याम पुत्र रेवती का नाम कही भी अंकित नहीं है। परन्तु प्रदर्श डी–3 जमाबन्दी संवत 2018–21 में विवादित आराजी पर राधेश्याम पुत्र रेवती कौम ब्राहम्ण गैर खातेदार दर्ज हैं। संवत 2018 में राधेश्याम के उक्त अंकन किस प्रकार आये ? रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का परीक्षण किया है। विधि अनुसार संवत 2012 के अंकन से अधिकार सृजन हो सकते हैं संवत 2018 से नहीं अतः रैस्पो0/प्रतिवादी के संवत 2018 में आये गैर खातेदारी के अंकन का परीक्षण किये बिना, अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष को उचित नहीं माना जा सकता है। अतः परीक्षण वांछनीय है।

7. तनकी संख्या 02, 03 व 05 के निष्कर्ष तनकी संख्या 01 की विवेचना से प्रभावित होते हैं। अतः इन तनकी बाबत् भी अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. तनकी संख्या 04 **"आया इस न्यायालय में एक दावा उनवानी मुरारी बनाम द्रापदी व दूसरा द्रोपदी बनाम मुरारी विचाराधीन होने के कारण यह दावा इस न्यायालय में चलेन योग्य नहीं है धारा 10 सीपीसी के तहत स्टे किये जाने योग्य है"** बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पष्ट विवेचना नहीं की है। पूर्व चल रहे वाद में विवाद का बिन्दु क्या हैं, उन बिन्दुओं की वर्तमान प्रकरण के विवाद बिन्दुओं से किस प्रकार समान्ता है, की विवेचना के बिना यह तनकी तय नहीं हो सकती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, प्रकरण पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2003 अपास्त किये जातें हैं। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचना अनुसार पक्षकारों को अतिरिक्त साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.04.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official